(120)

4. पिछले अनेक वर्षों से सी.पी.एल प्रशिक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना में शामिल है । तथापि, प्रत्युत्तर पर्याप्त नहीं रहा है । अतः यह अनुरोध है कि इस प्रकार की छात्रवृत्तियों की उपलब्धता को व्यापक प्रचार मिलना चाहिए । कल्याण मंत्रालय एक प्रेस विज्ञप्ति तथा विज्ञापन भी जारी कर रहा है जिसमें पात्र उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण प्रभारी सचिव/निदेशक/आयुक्त के साथ संपर्क करें और उनके माध्यम से आवेदन करें ।

भवदीय,

(ए० एम० खान)
निदेशक, भारत सरकार

प्रति प्रेषित :-

1. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली (20 प्रतियां)
2. नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन विभाग, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त निर्णय से देश के सभी फ्लाईंग क्लबों तथा नागर विमानन महानिदेशक के अधीन सभी कार्यालयों को अवगत करा दिया जाए (40 प्रतियां)